कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
बड़कोट

पत्रांक 2082/4 भू०अ० दिनांक 20/10/2016

सेवा में

प्रभागिय वन अधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट।

विषयः— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगॉव के अन्तर्गत बड़कोट तिलाड़ी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना एवं डामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2.00 कि0मी0) 0.553 है0वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लों0नि0वि0 बड़कोट को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भः— प्रस्ताव सं0 – FP/UK/Road/10386/2015 एवं वन संरक्षण यमुना वृत्तद्व उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक –2956/12 –1(1) दिनांक, देहरादून मई 03/2016 एवं आपका पत्रांक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर सन्दभर्मित पत्र द्वारा जारी Eds quarry दिनांक 11.05.2016 के आपत्तियों का विन्दुवार आख्या द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 19/व0भू0 दिनांक 15.06.2016 द्वारा आनलाईन किया गया है इस परियोजना के अन्तर्गत मार्ग के चौड़ीकरण में आने वाले बादक वृक्षो का मार्ग कें डीजायन के अनुसार सयुक्त निरिक्षण दिनांक 01.10.2016 को राजस्वय विभाग, वन विभाग एवं पयुक्ता अनुविभाग लो0नि0वि0 द्वारा किया गया जिस में सिविल भूमि में कुल चिड़ प्रजाति के 21 वृक्ष का पातन वास्तविक रूप से किया जाना है

अतः संयुक्त निरिक्षण में आने वालि बादक वृक्षों का Schulde प्रपत्र 15 से 15.5 एवं नयुन्तम वृक्षो का पातन किया जाने का प्रमाण पत्र प्रपत्र 17 एवं परियोजना में प्रभावित होने वालि संसोधित मल्य सूचि ऑनलाईन कर दी गयी है एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि जा रही है।

अतः आपत्तियों का निराकरण कर आनलाईन अपलोड करने के उपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार दो प्रतियों में।

20/10/16

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बडकोट

पत्रांक / दिनांक / /2016

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ताआ तृतिय का सूचनार्थ व अग्रिम आवाश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बडकोट

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट (उत्तरकाशी)

Website- http://pwd.uk.gov.in

e-mail:- eepwdbarkot@rediff mail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 01375–224756,fax 01375224828

पत्रांक 19 /व० स्टू० दिनांक 15/06/2016

सेवामें

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बड़कोट तिलाड़ी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना एवं डामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2.00 कि0मी0) 0.553 है0 वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 बड़कोट को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भः– प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/10386/2015 एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक –2956/12–1(1) दिनांक, देहरादून मई 03/2016 एवं आपका पत्रांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर अपर वन संरक्षक /नोडल अधिकारी वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्तर से जारी ई0डी0एस0 क्वेरी दि0 11.05.2016 की आपत्तियों का बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	Short Narrative of the proposal for which the forest land is required does not give full description of the proposal it may be explained as to what constitutes upgradation.	The said road is light vechile Road & it Cannects Nagar Palika Barkot to Nogoan-Pouti- Rajgari-sarnol motor road and connects more then 200 villages of Banal Patti The mani mandi/marketing center of village are barkot and also Distt. Head quarter Uttarkashi and also yamnotri daam . It is shortest route to connect Banal patti to barkot and mostly used by villages for communication. The road is constructed light vechile road and after increasing densty of traffic its is required to convert this L.V.R to motor road so that heavy vechile can also utilize this road & being shortest route saving of timed and fuel etc. transportation and charges helps upliftmant of ecnomy of villages , Present time the heavy vechile can not through Naougoan and 15 Km extra length and traffic jam problems at Naougoan.
2	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil . this may be reviewed.	The total period for this project which the forest land is proposed to be diverd is 100 years .
3	The Details of person making application and that of the one authorized to file application do not match.	The Parposal of Forest Uploaded by Excutive Engineer C.D.P.W.D Barkot on its Approved I.D
4	The Proposal mentions that the proposal is not likely to generate any employment. This seems unlikely and may be reviewed.	This Project generate 20000.00 mandays employment.

प्राप्त 16/6/2016
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

o/c.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट

5	The note containing justification for locating the project in forest land does not specify the justificstion of the particular proposal.	To connect barkot town to banal Patti more then 200 villages benificiabl by this road and non forest land is not available for construct of this road.
6	The area proposed for diversion, when seen on google earth , seems to have a existing road . It may be explained if diversion of this land under forest (Conservation) Act was sought before construcation of the existing road.	The road is ~~extrly~~ existing L.V road and ~~prepred~~ proposed to be upgraded to motor road by Uttarkhand govt. and diversion of this land under forest conversion act 1980 was sought vide. Nodel officer and chief conservator van circle Uttar Pradesh , Lucknow L-118/14-3-1990 Van Anubhage-3 Lucknow/Dated/27 January, 1990 Encloser-1
7	The FRA certificate of DM states the date of meeting of DLC as 09-12-2014 while the Gram sabha date has been mentioned as 19-01-2015. The meeting of DLC could not have preceeded the Gram sabha meeting. This may be reviewed.	The date of gram sabha in FRA certificate mentioned 19-01-2015 is subdivisional is 19-01-2015 and DM certificate is 02-02-2015 Photo copy attached Hence FRA given by DM does not proceed the gram shaba meeting. Encloser-2
8	GPS location of all turns on the proposed road may also be given on the software generated GIS maps in Part-I . Soft copy of shapefiles may also be provided.	GPS location of all turns on the exiting road given in software generated GIS maps in Part-I. Soft copy of shapefiles in Submited and uploaded also. Encloser-3

अतः आपत्तियों का निराकरण कर आनलाइन अपलोड करने के उपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः— 1. CD & GIS Map Shape File

2. पूर्व स्वीकृत वन भूमि की सत्य प्रतिलिपि।

3. F.R.A

17/6/16

(ई0वी0डी0भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0, बड़कोट

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम	:-	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 01.10.2016 (नि0ख0लो0नि0वि0 बडकोट उत्तरकाशी) के द्वारा बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने हेतु कार्य का स्थल निरीक्षण किया गयां संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मनवीर सिंह बिष्ट वन दरोगा श्री बलदेव चौहान व0वी0अ0 प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री नवीन कुमार शर्मा अपर सहायक अभियन्ता तथा श्री खजान सिंह असवाल उपनिरीक्षक लो0नि0वि0 बड़कोट के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु भाग लिया गया

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण हेतु 268.00 मी0नाप भूमि, सविल भूमि से 1772.00 मी0, वन पंचायत से 00.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि 0.00मी0 प्रभावित होगी एवं इस स्थल के चयन में नाप भूमि 0.067 है0 सिविल भूमि 0.553 है0 वन पंचायत भूमि ,0.00 है0 आरक्षित वन भूमि 0.00 है0 की आवश्यकता होगीं जिनमें से कुल 0.553 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगीं इस संमेरखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग 21 वृक्ष चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगें, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं जिनमें से शून्य वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे

चुने गये स्थल का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 30^0 48'22.56" N " 78^0 11'59.64" E है तथा संमरेखण का अन्तिम बिन्दु जिसका GPS मान 30^0 48'56.12" N " 78^0 11'55.65" E हैं

इस संमरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु जो स्थल उपयुक्त पाये गये है जिनका GPS मान 30^0 48'27.96" N " 78^0 12'14.63" E तथा 30^0 48'48.54" N " 78^0 12'3.06" E हैं

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	(वन विभाग) प्रतिनिधि	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

अपर सहायक अभियन्ता नि0 ख0 लो0 नि0 वि0 बड़कोट

(एच0 एम0 बिष्ट) मनवीर सिंह बिष्ट वन दरोगा

राजस्व उप निरीक्षक.....नौगांव तहसील बड़कोट.....उत्तरकाशी

राजस्व उप निरीक्षक नि0 ख0, लो0 नि0 वि0 बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो. नि. वि. बड़कोट (उ. का.)

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट(उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

तहसीलदार बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी रवांई वन राजि बड़कोट उत्तरकाशी

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

सिविल सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनॉक 01.10.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों कि गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की नियमानुसार गणना की गईः–

क0सं0	प्रजाति का नाम	वनस्पतिक नाम	व्यास	भूमि का प्रकार
1	चीड़ हरा खड़ा		60–70	सिविल सोयम
2	चीड़ सूखा खड़ा		50–60	सिविल सोयम
3	चीड़ हरा खड़ा		30–40	सिविल सोयम
4	चीड़ हरा खड़ा		40–50	सिविल सोयम
5	चीड़ हरा खड़ा		30–40	सिविल सोयम
6	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
7	चीड़ हरा खड़ा		30–40	सिविल सोयम
8	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
9	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
10	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
11	चीड़ हरा खड़ा		40–50	सिविल सोयम
12	चीड़ हरा खड़ा		30–40	सिविल सोयम
13	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
14	चीड़ हरा खड़ा		40–50	सिविल सोयम
15	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
16	चीड़ हरा खड़ा		30–40	सिविल सोयम
17	चीड़ हरा खड़ा		30--40	सिविल सोयम
18	चीड़ हरा खड़ा		30–40	सिविल सोयम
19	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
20	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम
21	चीड़ हरा खड़ा		20–30	सिविल सोयम

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
...कोट, उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
बड़कोट (उ. का.)

उप जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

(मनवीर सिंह (बिष्ट))
वन-दरोगा

प्रपत्र–15

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनॉक 01.10.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों कि गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की नियमानुसार गणना की गईः–

आरक्षित वन भूमि					
क0सं0	प्रजाति का नाम	वनस्पतिक नाम	व्यास	वृक्षों का योग	भूमि का प्रकार
1	शून्य				
		योग			

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं

राजस्व उप निरीक्षक
नि0 ख0, लो0 नि0 .0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

A.AE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
बड़कोट (उ. का.)

तहसीलदार
बड़कोट

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट उत्तरकाशी

(एच0 एस0 असवाल)
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील बड़कोट, उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(मनवीर सिंह बिष्ट)
वन दरोगा

उप जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रपत्र - 15.1

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

सिविल सोयम भूमि में होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रष्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनॉक 01.10.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार सिविल सोयम भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयीं जो निम्न प्रकार है

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग से0 मी0 में (गोलाई)										योग
				0.10	10.20	20. 30	30. 40	40. 50	50. 60	60. 70	70. 80	80. 90	90 से अधिक	
1	बडकोट	चीड़		–	–	09	07	03	01	01	–	–	–	21
			Total	–	–	09	07	03	01	01	–	–	–	21

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
बड़कोट (उ. का.)

वन क्षेत्राधिकारी
रवांई रेंज
बड़कोट उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रभागीय वनाधिकारी

(एच0 एस0 असवाल)
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील.........उत्तरकाशी

मनवीर सिंह (बिष्ट)
वन दरोगा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

उप जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–15.2

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

वन पंचायत भूमि में होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रष्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनॉक 01.10.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों कि गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की नियमानुसार गणना की गईः–

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग से0 मी0 में (गोलाई)										योग
				0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1				शून्य										
			Total											

राजस्व उप निरीक्षक नि0 ख0, लो0 नि0 वि0 बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो. नि. वि. बड़कोट (उ. का.)

राजस्व उपनिरीक्षक (एच0 एस0 असवाल) राजस्व उप निरीक्षक नौगांव तहसील बड़कोट उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी रवाई वन राजि बड़कोट उत्तरकाशी

वनाधिकारी

तहसीलदार
तहसीलदार बड़कोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप जिला अधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–15.3

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनॉक 01.10.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों कि गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की नियमानुसार गणना की गई:–

नाप भूमि					
क0सं0	प्रजाति का नाम	वनस्पतिक नाम	व्यास	वृक्षों का योग	भूमि का प्रकार
1			शून्य		
		योग			

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं

राजस्व उप निरीक्षक
नि0 ख0, लो0 नि0 वि0
बडकोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
बड़कोट (उ. का.)

तहसीलदार
तहसीलदार
बडकोट

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
... उत्तरकाशी

(एम0 एस0 असवाल)
राजस्व उप निरीक्षक...नौगाँव
तहसील...बड़कोट...उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

उप जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–15.4

परियोजना के निर्माण से भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का सारांश

क्र0 सं0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग से0 मी0 में (गोलाई)										योग
		0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	वन पंचायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	सिविल सोयम	–	–	09	07	03	01	01	–	–	–	21
4	नाप भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	0	0	09	07	03	01	01	0	0	0	21

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं

राजस्व उप निरीक्षक
नि0 ख0, लो0 नि0 वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. वि. वि.
बड़कोट (उ. का.)

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
नौगांव, उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रपत्र– 15.5

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

परियोजना क्षेत्र में विघमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 21 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 21 वृक्षों का पातन किया जाना हैं

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0,बडकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0,बडकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0,बडकोट

राजस्व उप निरीक्षक
नि0 ख0, लो0 नि0 वि0
बडकोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
रवांई वन राजि
बड़कोट उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

व0 प0

प्रपत्र–15.6

परियोजना का नाम– जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

क्रं0 सं0	प्रजाति	व्यास (वर्ग में)	वृक्षों की सं0	मूल्य / दर	धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	चीड़	20-30	9	720.00	6480.00	
2	चीड़	30-40	7	2796.00	19572.00	
3	चीड़	40-50	3	6084.00	18252.00	
4	चीड़	50-60	1	10278.00	10278.00	
5	चीड़	60-70	1	15762.00	15762.00	
	योग		21		**70344.00**	

उपप्रभागीय वनाधिकारी

वन दरोगा

रेंजअधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
रवांई वन रोजि
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुनावनप्रभाग
बड़कोट

प्रपत्र- 16

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 1-10-2016 को स्थलीय निरीक्षण किया गयां स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग से0 मी0 में (गोलाई)									योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	
1	शून्य											

राजस्व उप निरीक्षक
नि0 ख0, लो0 नि0 वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
बड़कोट (उ. का.)

वन संरक्षक

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रपत्र– 17

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित एवं डामरीकरण का कार्य।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम 21 है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम 21 वृक्षों का ही पातन किया जायेगां

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0,बडकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0,बडकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0,बडकोट

राजस्व उप निरीक्षक
नि0 ख0, लो0 नि0 वि0
बडकोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Encloser-1

सं0- एल- 118 /14-3-1990.

प्रेषक,

श्री एस0एम0 घिल्डियाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग-3 बड़कोट - तिलाड़ी शहीद मार्ग लखनऊ / दिनांक / 27 जनवरी, 199[illegible]

विषय:- सार्वजनिक निर्माण विभाग को वन भूमि निःशुल्क हस्तान्तरण की अनुमति ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सार्वजनिक निर्माण विभ[ाग] को संलग्न विवरण के अनुसार वन भूमि के निःशुल्क हस्तान्तरण की निम्न शर्तों पर अनुमति प्रदान करते हैं :-

(1) वह उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा इसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनके सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निश्चायक तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा ।

तदर्थ

(3) उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी जब कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहे। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे वह वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगा ।

Photocopy Attasted
Assistant Engineer
Cont. Div. P.W.D. Barkot

(4) वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब से आवश्यक समझे प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(5) कथित भूमि हस्तान्तरण के बाद भी आरक्षित /रक्षित वन भूमि बनी रहेगी उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(6) सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण करवायेगा ।

क्षतिपूर्ति रोपण तथा प्रकरण विशेष के सम्बन्ध में विशेष शर्तें ... कालम- (7) में अंकित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण शासनादेश एल-643/14-3-627/89 दिनांक 30.11.1989 के अनुसार सुनिश्चित कराया जाय।

(8) क्षतिपूर्ति रोप वन का व्यय पैरा - में निर्धारित दर के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के पूर्व वसूल किया जायेगा। इस धनराशि से सम्बन्धित उप वन संरक्षक योजनानुसार क्षतिपूर्ति रोप वन करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) वन क्षेत्र में परियोजना कार्य कर रहे मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिये वनों को हानि न पहुँचाये इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगा या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी।

(10) वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा करवाया जायेगा। यदि किसी कारणवश सार्वजनिक निर्माण विभाग को खड़े वृक्ष सौंपे जाते हैं तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त किया जायेगा।

(11) भारत सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिए गये मार्ग निर्देशों जिसकी प्रति संलग्न है, का पालन किया जायेगा।

2- यह आदेश प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.1.1990 को हुई बैठक में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग का अशासकीय संख्या : ए-2-75/दस-77/14(4)/274 दिनांक 3.2.1977 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Photocopy Attasted
Assistant Engineer
Cont. Div. P.W.D. Barkot

(20/= ह० ...) (जे० ... निगमकार)
विशेष सचिव।

संख्या:- एल-113(1)/14-3-1990 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन एवं वन्य जन्तु, विभाग, 5 पी.सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

...3...

...न्धित अधिशासी अभियन्ता ।

पर्वतीय विकास अनुभाग - 3

सचिवालय का सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 8

सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक

सम्बन्धित वन संरक्षक,

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, ।

आज्ञा से,

ह0/= (एम0 सी0 घिल्डियाल)
विशेष सचिव ।

Photocopy Attasted

Assistant Engineer
Cont. Div. P.WD. Barkot

तेन्दु/ 12.5.90.

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project:- Construction for Light Vehicles of Barkot Tilari Motor road.

No....60..................

Dated..2/2/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.553** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Barkot** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Nagar Panchayat Barkot** village in **Barkot** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.553** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(Indudhar Baurai)
District Magistrate,
Uttarkashi.

ENCLOSER – 2

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S.District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **0.533** hect for the **Construction Division P.W.D. Barkot** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Barkot sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated: 2/2/15

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाड़ी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नगर पंचायत बड़कोट
तहसील बड़कोट, जिला– उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़कोट तिलाड़ी हल्का मोटर मार्ग का सुधारीकरण -परियोजना के निर्माण हेतु (–शून्य– हे0 आरक्षित वन भूमि 0.553 हे0 सिंविल सोयम भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि –×– हे0) अर्थात कुल 0.553 हे0 वन भूमि का ——— विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नगर पंचायत बड़कोट द्वारा दिनांक 19.1.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नगर पंचायत बड़कोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ——— प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम सचिव
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत बड़कोट
उत्तरकाशी

ह0/–
ग्राम प्रधान
उत्तरकाशी

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 19-1-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतें नगर पंचायत ककोरे

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगमोहन राणा	[signature]
2	दयाल सिंह	[signature]
3	राजश्री लाल	[signature]
4	रुकम सिंह रावत	[signature]
5	किशोर सिंह	[signature]
6.	हरदेवसिंह नेगी	[signature]
7.	देवेन्द्रसिंह पयाल	[signature]
8.	अनिलसिंह	[signature]
		[signature]
9.	भगवानसिंह	[signature]
10.	सुरतसिंह रावत	[signature]
11 -	मदन लाल	[signature]
12 -	उम्मेदसिंह	[signature]
13.	बलदेवलाल	[signature]
14-	जयदेवसिंह	जयदेवसिंह
15-	गजेन्द्रसिंह	[signature]

[signature]

ह0 [illegible]

ग्राम प्रधान

53

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– बड़कोट सिल्यारी हल्का मोटर मार्ग सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बड़कोट

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत बड़कोट सिल्यारी हल्का मोटर मार्ग सुधारीकरण (—×—हे0 आरक्षित वन भूमि,0.553 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.553 हे0 वन भूमि) का लो०नि०वि० बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 19-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवमूर्ति यादव उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देव मूर्ति यादव उपजिलाधिकारी बड़कोट अध्यक्ष

2– श्री जी०पी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट सदस्य

3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव

4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत बड़कोट सदस्य

उप जिला अधिकारी / उप प्रभागीय वनाधिकारी / यमुना वन प्रभाग बड़कोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बड़कोट सिल्यारी हल्का मोटर मार्ग का सुधारीकरण परियोजना हेतु 0.553 हे0 वन भूमि —————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत बड़कोट (खलाड़ी) हल्का मोटर मार्ग सुधारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु २०००५ वर्ग मी० हे0 वन भूमि 0.553 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी।

Enclosure 3

डिजिटल मैप–जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड नौगांव में बड़कोट – तिलाड़ी हल्का मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण हेतु

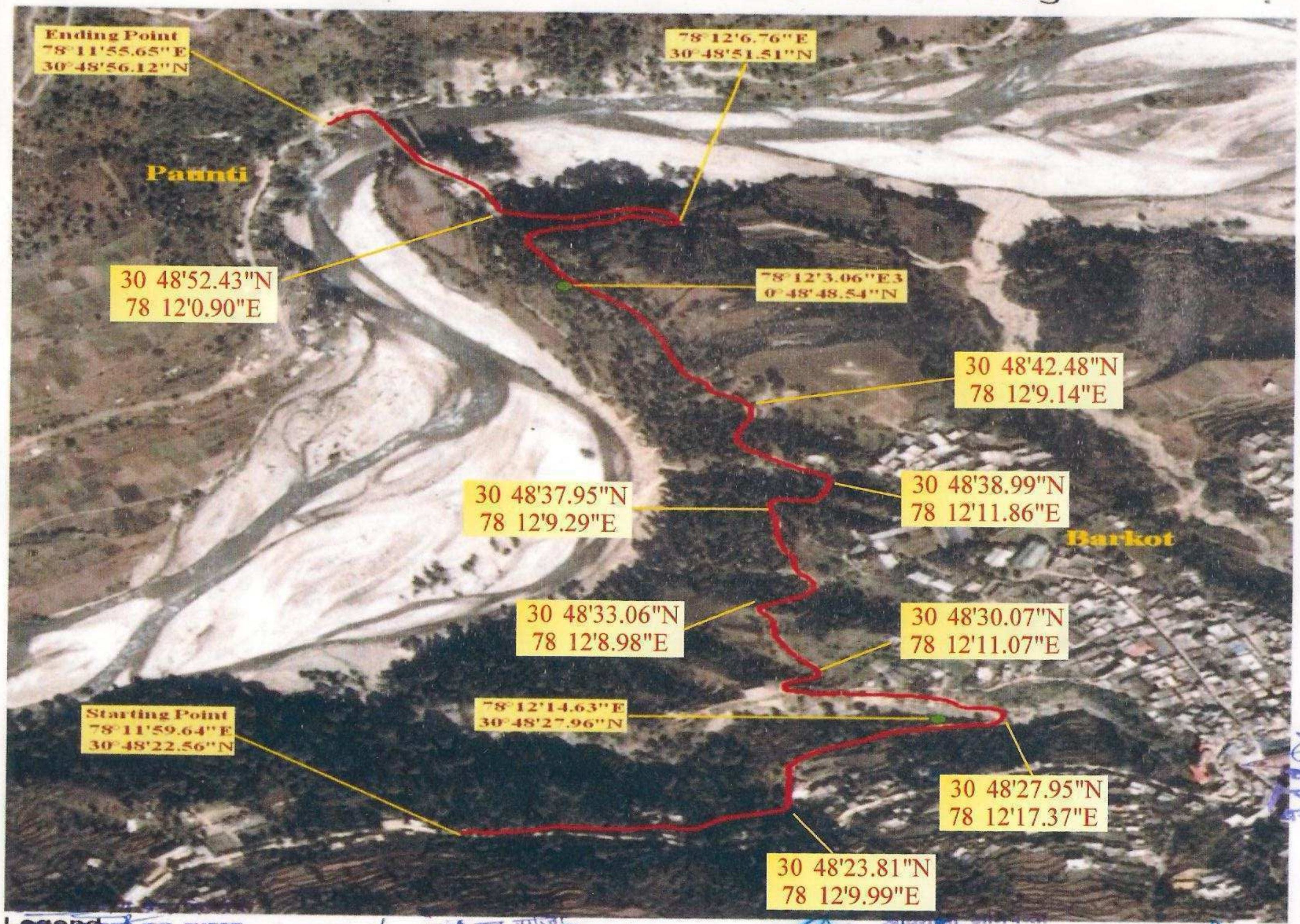

Legend
Dumping Zone
Proposed Road

रवाई वन राजि बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट (उत्तरकाशी)

तहसीलदार बड़कोट

उपजिलाधिकारी बड़कोट उत्तरकाशी